



पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी: बलवन्तसिंह लिप्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं०
01/2016

दायरा दिनांक
01.01.2016

निर्णय दिनांक
12-07-16

अनुवान

पूरण :- वादी बनाम नारायण वगैरा :- प्रतिवादीगण

दाया इशतकरारहक जरिये तकसीम
अंतर्गत घारा 88, 53, राज० का० अधि० 1955.

उपस्थित:

1. श्री सूबेसिंह यादव अधिवक्ता वादी।

निर्णय दिनांक 12.7.2016-

दावा डिकी किया जाता है। दावा में वर्णित आराजियात पर

वादी-पूरण:- को वाके ग्राम कोटकासिम आराजी खसरा नम्बर 2476 में से 1बीघा 11 बिस्वा, 2455/0-09, 2456/0-06, 2457/5-17, 2458/2-10 में से 3/8 हिस्सा जो मृतक भोलूराम से वादी वो प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को विरासत में प्राप्त हुआ है समस्त 3/8 भाग, 2002/1-11 बीघा में से 0-04 बिस्वा, 1965/2-10 में से 0-17 बिस्वा, 1967/3-08 में से 0-14 बिस्वा जिनकी अलग से डोले कायम कर वादी काबिज आ रहा है पर

प्रतिवादी - 1 नारायण को वाके ग्राम कोटकासिम आ०ख०न० 2425/4-10 में से 3-00 बीघा, 2426/0-14 समस्त, 2340/1-04 में से 0-16 बिस्वा, 2002/1-11 बीघा में से 0-05 बिस्वा, 1950/2-07 में से 1 बीघा 9 बिस्वा, 1963/0-18 बीघा में से 0-01 बिस्वा जिस पर प्रतिवादी सं० 1 अलग से डोल कायम कर काबिज है पर


प्रतिवादी-2 सतबीर को वाके ग्राम कोटकासिम आ०ख०न० 2431/1-19 समस्त, 2425/4-10 में से 1 बीघा 10 बिस्वा, 2114/0-09 समस्त, 49/0-12 समस्त, 2310/0-09 समस्त, 2002/1-11 बीघा में से 0-05 बिस्वा, 1965/2-10 में से 0-17 बिस्वा, 1967/3-08 में से 0-13 बिस्वा जिस पर प्रति० सतबीर डोल कायम कर काबिज है पर

प्रतिवादी-3 ताराचन्द को वाके ग्राम कोटकासिम आ०ख०न० वाके ग्राम कोटकासिम 2411/1-10 समस्त, 2415/1-12 में से 0-11 बिस्वा, 2002/1-11 में से 0-05 बिस्वा, 1967/03-08 में से 1 बीघा 05 बिस्वा 1964/0-18 में से 0-05 बिस्वा पर


प्रतिवादी- 4 सतपाल को वाके ग्राम कोटकासिम आ०ख०न० 2417/2-06 समस्त, 2419/1-12 समस्त, 1932/0-12 समस्त 2002/1-11 बीघा में से 0-05 बिस्वा, 1963/0-18 बीघा में से 0-17 बिस्वा, 1964/0-18 में से 0-13 बिस्वा हिस्से में आई जिस पर डोल बनाकर काबिज है पर

प्रतिवादी-5 लालाराम उर्फ छोटूराम को वाके ग्राम नारुकी का खसरा नम्बर 127/0-71 समस्त, 154/0-25 में से 17/25 नाग, 2310/2638/0-10 समस्त व ग्राम कोटकासिम में 1965/2-10 में से 0-16 बिस्वा, 1967/3-08 में से 0-15 बिस्वा, 2002/1-11 बीघा में से 0-04 बिस्वा पर

उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी व प्रतिवादीगण का अलग-अलग खाता लगान कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफतर की जावे। पर्चा डिकी दिनांक 12-07-2016 को मेरे मेरे हस्ताक्षर व मुहर न्यायालय से जारी की गई।


उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी: बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं०
01/2016

दायरा दिनांक
01.01.2016

निर्णय दिनांक
12-07-2016

अनुवान

1. पूरण पुत्र श्री भोलूराम जाति जाट पेश काश्तकारी निवासी कोटकासिम तह० कोटकासिम जिला अलवर राज०। :- वादी

बनाम

1. नारायण पुत्र भोलूराम
2. सतबीर पुत्र भोलूराम
3. ताराचन्द पुत्र भोलूराम
4. सतपाल पुत्र भोलूराम
5. लालाराम उर्फ छोटूराम पुत्र श्री भोलूराम कोम जाट निवासी कोटकासिम
6. राज० सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, कोटकासिम तह० कोटकासिम जिला अलवर राज०। :- प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक जरिये तकसीम
अंतर्गत धारा 88, 53, राज० का० अधि० 1955.

उपस्थित:

1. श्री सूबेसिंह यादव अधिवक्ता वादी।

निर्णय

12.7.2016- आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट कोटकासिम पेश हुई। शंसोधित वादपत्र पेश किया। प्रतिवादीगण की ओर से ईकबाल संशोधित दावा पेश किया। उभय पक्ष कैम्प कोर्ट में उपस्थित है। दोनों पक्षकारान मुताबिक दावा तकासमा को सहमत है। बाद सुनवाई व सहमति दावा डिक्री किया जाता है। दावा में वर्णित आराजियात पर

वादी-पूरण:- को वाके ग्राम कोटकासिम आराजी खसरा नम्बर 2476 में से 1बीघा 11 बिस्वा, 2455/0-09, 2456/0-06, 2457/5-17, 2458/2-10 में से 3/8 हिस्सा जो मृतक भोलूराम से वादी वो प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को विरासत में प्राप्त हुआ हैं समस्त 3/8 भाग, 2002/1-11 बीघा में से 0-04 बिस्वा, 1965/2-10 में से 0-17 बिस्वा, 1967/3-08 में से 0-14 बिस्वा जिनकी अलग से डोले कायम कर वादी काबिज आ रहा है पर

प्रतिवादी - 1 नारायण को वाके ग्राम कोटकासिम आ०ख०न० 2425/4-10 में से 3-00 बीघा, 2426/0-14 समस्त, 2340/1-04 में से 0-16 बिस्वा, 2002/1-11 बीघा में से 0-05 बिस्वा, 1950/2-07 में से 1 बीघा 9 बिस्वा, 1963/0-18 बीघा में से 0-01 बिस्वा जिस पर प्रतिवादी सं० 1 अलग से डोल कायम कर काबिज है पर

प्रतिवादी-2 सतबीर को वाके ग्राम कोटकासिम आ०ख०न० 2431/1-19 समस्त, 2425/4-10 में से 1 बीघा 10 बिस्वा, 2114/0-09 समस्त, 49/0-12 समस्त, 2310/0-09 समस्त, 2002/1-11 बीघा में से 0-05 बिस्वा, 1965/2-10 में से 0-17 बिस्वा, 1967/3-08 में से 0-13 बिस्वा जिस पर प्रति० सतबीर डोल कायम कर काबिज है पर

प्रतिवादी-3 ताराचन्द को वाके ग्राम कोटकासिम आ०ख०न० वाके ग्राम कोटकासिम 2411/1-10 समस्त, 2415/1-12 में से 0-11 बिस्वा, 2002/1-11 में से 0-05 बिस्वा, 1967/03-08 में से 1 बीघा 05 बिस्वा 1964/0-18 में से 0-05 बिस्वा पर

प्रतिवादी- 4 सतपाल को वाके ग्राम कोटकासिम आ०ख०न० 2417/2-06 समस्त, 2419/1-12 समस्त, 1932/0-12 समस्त 2002/1-11 बीघा में से 0-05 बिस्वा, 1963/0-18 बीघा में से 0-17 बिस्वा, 1964/0-18 में से 0-13 बिस्वा हिस्से में आई जिस पर डोल बनाकर काबिज है पर

प्रतिवादी-5 लालाराम उर्फ छोटूराम को वाके ग्राम नारुकी का खसरा नम्बर 127/0-71 समस्त, 154/0-25 में से 17/25 भाग, 2310/2638/0-10 समस्त व ग्राम कोटकासिम में 1965/2-10 में से 0-16 बिस्वा, 1967/3-08 में से 0-15 बिस्वा, 2002/1-11 बीघा में से 0-04 बिस्वा पर

उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी व प्रतिवादीगण का अलग-अलग खाता लगान कर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी की जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफतर की जावे। निर्णय कैम्प कोर्ट में दिनांक 12.07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)